

कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

Email_Id:- lobalrampur2013@gmail.com

क्र. /1417/ न्यू0वे0 / श्र0प0 / 2018
प्रति,

बलरामपुर, दिनांक 12/10 / 2018

.....
.....
.....
जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

- विषय:- दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।
संदर्भ:- कार्यालय श्रमायुक्त, छ0ग0 शासन रायपुर का पत्र क्रमांक 8008 दिनांक 06.10.2018।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है। जिसकी प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की बेवसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


श्रम पदाधिकारी

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

कार्यालय श्रमपदाधिकारी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

-परिपत्र-

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में श्रमायुक्त छ0ग0 रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2018 / 8004 :: रायपुर, दिनांक 06.10.2018 द्वारा निम्नानुसार अनुसूची में उल्लेखित दैनिक वेतन भेगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए वेतन की दरें सम्पूर्ण छ0ग0 के लिए मासिक / दैनिक वेतन दरें निर्धारित की गई, जो दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय होगी:-

अनुसूची-(ख)

अनुसूचित नियोजन भाग एक के 45 नियोजन :-

01.10.2018 से 31.03.2019 तक

(ऑकडे रूपयों में)

श्रमिक का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	7800.00	300.00	340.00	13.08	8140.00	313.08 (313)
अर्द्धकुशल	8450.00	325.00	340.00	13.08	8790.00	338.08 (338)
कुशल	9230.00	355.00	340.00	13.08	9570.00	368.08 (368)
उच्च कुशल	10010.00	385.00	340.00	13.08	10350.00	398.08 (398)

अनुसूची-(ग)

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भेगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता।

01.10.2018 से 31.03.2019 तक

श्रमिक का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	7800.00	260.00	340.00	11.33	8140.00	271.33 (271)
अर्द्धकुशल	8450.00	281.67	340.00	11.33	8790.00	293.00 (293)
कुशल	9230.00	307.67	340.00	11.33	9570.00	319.00 (319)
उच्च कुशल	10010.00	333.67	340.00	11.33	10350.00	345.00 (345)

कृषि में नियोजन (भाग-दो) अनुसूची- (क)

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है:-

01.10.2018 से 31.03.2019 तक

श्रमिक का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	6900.00	230.00	220.00	7.33	7120.00	237.33 (237)

श्रम पदाधिकारी

जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

बलरामपुर, दिनांक 1.2.2018

पू0क्रमांक/1418/न्यू0वे0अधि0/2018

प्रतिलिपि:-

01. कलेक्टर महोदय, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ।
02. सर्व जिला/कार्यालय प्रमुख.....
जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. नियोजक/प्रबंधक/संचालक..... जिला-
बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा नियोजित दैनिक वेतन भेगी कर्मचारियों/श्रमिकों को उक्तानुसार निर्धारित वेतन/मजदूरी से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरैमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय संबंधन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/बुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	पयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन